भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1234**

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

**विषय: एपीएमसी विनियमित मंडियां**

1234. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में एपीएमसी विनियमित मंडियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मजबूरन बिक्री को रोकने और किसानों के लिए आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक संख्या में मंडियों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मौजूदा एपीएमसी परिसरों का विस्तार करने के लिए कोई पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में और अधिक विनियमित मंडियों की स्थापना के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): देश में कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों की राज्यवार सूची **अनुबन्ध** में दी गई है।

(ख) से (ङ): जी हां, सरकार बाजार संकट के मुद्दे को हल करने और किसानों को आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में अधिक संख्या में बाजारों की आवश्यकता से अवगत है। वर्तमान में, एक विनियमित एपीएमसी मंडी 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (राष्ट्रीय किसान आयोग रिपोर्ट, 2006) के मानक के मुकाबले लगभग 406 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करती है।

कृषि विपणन राज्य का विषय है और कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को राज्य के संबंधित राज्य कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और व्यापारियों की मौजूदगी आदि के आधार पर आवश्यकता का आकलन करने के बाद राज्य एपीएमसी बाजार स्थापित करते थे।

भारत सरकार हमेशा कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को सुदृढ़ करने व सेवाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के माध्यम से उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के विचार से हमेशा सहमत रही है। सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ़्तार, कृषि बाज़ार अवसंरचना (एएमआई), राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) और कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एपीएमसी को इन्फ्रास्ट्रक्चर और मूल्य श्रृंखला विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार बाजार की कमी को पूरा करने के लिए, सुधारों के माध्यम से निजी बाजारों की स्थापना, एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर फार्म-गेट/गांवों से किसानों से सीधे थोक खरीद को बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार किसानों की उपज के व्यापार और वितरण के लिए गोदामों/साइलो/कोल्ड स्टोरेज/अन्य स्थानों को बाजार उप-यार्ड के रूप में घोषित करने को भी बढ़ावा देती है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक सुधार सूचकांक तालिका विकसित की है, जिसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है।

**अनुबन्ध**

**देश भर में कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) विनियमित मंडियों की राज्यवार संख्या (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार):**

| क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | एपीएमसी विनियमित मंडियां |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 318 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 19 |
| 3 | असम | 226 |
| 4 | छत्तीसगढ | 187 |
| 5 | गोवा | 8 |
| 6 | गुजरात | 405 |
| 7 | हरियाणा | 285 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 63 |
| 9 | झारखंड | 201 |
| 10 | कर्नाटक | 564 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 557 |
| 12 | महाराष्ट्र | 929 |
| 13 | मेघालय | 2 |
| 14 | नागालैंड | 19 |
| 15 | ओडिशा | 535 |
| 16 | पंजाब | 436 |
| 17 | राजस्थान | 484 |
| 18 | तमिलनाडु | 288 |
| 19 | तेलंगाना | 282 |
| 20 | त्रिपुरा | 21 |
| 21 | उत्तर प्रदेश | 633 |
| 22 | उत्तराखंड | 62 |
| 23 | पश्चिम बंगाल | 537 |
| 24 | दिल्ली | 15 |
| 25 | चंडीगढ़ | 1 |
| 26 | पुदुचेरी | 8 |
| | **कुल** | **7085** |

*****